

# न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139) 016-10-75/2017  
से

आदेश पत्रक-ता0.....

जिला-खगड़िया.....

सा0.....

सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
07.08.2017	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत चित्रगुप्तनगर थाना में दर्ज कांड संख्या-599/2016 दिनांक 13.10.2017 से 750 एम0एल0 विदेशी कम्पनी द्वारा तैयार कुल <del>08 (आठ)</del> बोतल विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2452/हि0शा0 दिनांक 03.08.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। इस पत्र के साथ संलग्न पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई विदेशी शराब की कुल मात्रा में से 02 (दो) विदेशी शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार, पटना को भेज दिया गया है, जबकि शेष 06 (आठ) बोतल विदेशी शराब चित्रगुप्तनगर थाने के मालखाना में रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्रगुप्तनगर थाने में रखी गई 06 (छः) बोतल विदेशी शराब को विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए चित्रगुप्तनगर थाना कांड संख्या 599/2016 के आधार पर जप्त की गई कुल 06 (छः) बोतल (4.500 ली0) विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p>	


समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश पर का नर  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी  
तारीख-सहित  
3.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
02.

आदेश की क्रम  
सं० और तारीख  
1.

डी० बी० नं०.....२२७...../विधि, दिनांक.....११/८/२०१७.....  
प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया  
/थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को  
सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने की  
कृपा की जाय।

  
प्रभारी पदाधिकारी,  
जिला विधि शाखा  
खगड़िया।  
११/८/१७